

संख्या 2327/आर/ध:-सु0-5-1/99

प्रेषक,

श्री सोके0 विधानोई,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

गृह & पुलिस अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 1999

विषय:- अन्तर्जनपदीय शस्त्र व्यवसाय हेतु परिवहन लाइसेंस & टी0एल0 प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-12 के अन्तर्गत वर्णित प्राविधान के अनुरूप आयुध नियमावली, 1962 के नियम-38 & 21 में शस्त्र विक्रेता को उसी जनपद के अन्य शस्त्र व्यवसायियों से शस्त्र/कारतूस आदि क्रय करके अपने स्थान तक लाने के लिए परिवहन लाइसेंस को अनिवार्यता सम्बन्धी निम्नलिखित प्राविधान व्यवस्थित है:-

38(2) "A copy of EVERY SUCH LICENCE (Form XX) GRANTED by a district Magistrate For transport within the Limits Of his jurisdiction shall Forth with be sent to the sub ordinate magistrate (if any) having jurisdiction over the place to which the arms or ammunnication are consided."

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आयुध नियमावली के नियम-38 & 21 में वर्णित उक्त प्राविधान का अपने जनपद में कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

कृपया इस पत्र को प्राप्तत्काल स्वीकार की जाय।

भवदीय

Sub
30/9/99
श्री सोके0 विधानोई,
सचिव, गृह।